

मध्य प्रदेश शासन
पशुपालन एवं डेयरी विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन-462004

आदेश

भोपाल, दिनांक 05 अगस्त, 2022

क्रमांक एफ 3-4/2021/पैंतीस- वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-11-1/ 2009/ नियम/चार दिनांक 24 जनवरी 2008 एवं समसंख्यक ज्ञापन दिनांक 01.04.2008 के निहित निर्देशों के अनुक्रम में राज्य शासन एतद्वारा निम्नांकित पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञों द्वारा विहित शर्तों की पूर्ति करने/उपयुक्त होने के फलस्वरूप उन्हें 08 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने पर प्रथम समयमान वेतनमान रू. 15600-39100 ग्रेड-पे 6600 में कालम (3) में दर्शाई गई तिथि से स्वीकृत किया जाता है:-

क.	अधिकारी का नाम	समयमान-वेतनमान स्वीकृत करने का दिनांक
1	2	3
1	डॉ. नरेन्द्र सिंह तोमर	03.02.2019
2	डॉ. कु. ज्योति कुरील	13.07.2019
3	डॉ. शुभ करण कुम्हार	02.04.2020
4	डॉ. अमित रायकवार	09.07.2019
5	डॉ. हीरेश कुमार भलावी	07.06.2019
6	डॉ. मनीश कुमार शेन्डे	09.05.2019
7	डॉ. रवीन्द्र नरें	19.05.2020
8	डॉ. अक्षय बन्सोडे	13.12.2019
9	डॉ. रमेश कुमार नागेशिया	19.04.2015

2/-उपरोक्त राजपत्रित अधिकारियों को समयमान-वेतनमान योजनान्तर्गत प्रथम उच्चतर वेतनमान इस शर्त पर स्वीकृत किया जाता है कि वित्त विभाग के नियम, उपनियमों का पालन किया जाकर एवं कोष लेखा पेंशन से पुष्टि किये जाने के बाद ही संबंधित अधिकारियों का उच्चतर वेतनमान के अंतर्गत वेतन आहरित किया जा सकेगा।

3/-संबंधित अधिकारियों की वेतन वृद्धि की तिथि भी पूर्ववत ही रहेगी, तथा पदनाम परिवर्तित नहीं होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(सुनील मड़ावी)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन,


पशुपालन एवं डेयरी विभाग

(2)

पृ. एफ 3-4 / 2021 / पैतीस
प्रतिलिपि-

भोपाल, दिनांक 05 अगस्त, 2022

1. महालेखाकार, म.प्र.ग्वालियर / भोपाल।
2. विशेष सहायक, मान. मंत्री जी म.प्र. शासन, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भोपाल।
3. संचालक, पशुपालन, एवं डेयरी म.प्र. भोपाल।
4. संबंधित उप संचालक, पशु चिकित्सा सेवाएं, जिला-..... म.प्र.।
5. संबंधित कोषालय अधिकारी, जिला- म.प्र.।
6. संबंधित डॉ. पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ, जिला-.....।
7. स्टॉक फाईल।



अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
पशुपालन एवं डेयरी विभाग
139